राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः–प. 3(4)गृह–1/2018 जयपुर, दिनांकः–24 MAY 2018

आज्ञा

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 372/18 डॉ विनोद जैन बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2018 एवं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1670/12 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2013 की अनुपालना में डॉ विनोद जैन, सहायक निदेशक (विष) के प्रकरण में वर्ष 1995–96 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.11.1997 की अभिशंषाओं को रिव्यू करने हेतु रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.12.2017 को आयोजित की गई। रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.12.2017 की अभिशंषाओं के अनुसार इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 3(18)गृह–1/2013 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा डॉ विनोद जैन को सहायक निदेशक (विष) के पद पर चयन वर्ष 1997–98 के स्थान पर रिक्ति वर्ष 1995–96 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है तथा दिनांक 01.04.1995 की स्थिति में इनकी वरिष्ठता डॉ0 एस.एस. डागा, सहायक निदेशक (सीरम) के ऊपर निर्धारित की गई।

प्रयोगशाला में उप निदेशक के पदों की रिक्ति वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.11.2012 की अभिशंषाओं को रिव्यू करने हेतु रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.05.2018 को आयोजित की गई। उक्त रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के अनुसार प्रयोगशाला में उप निदेशक के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध निम्नांकित अधिकारियों को एतद् द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति वर्ष	वर्ग
01	डॉ0 विनोद जैन	2009–10	सामान्य
02	डॉ0 एस.एस.डागा	2010–11	सामान्य
03	डॉ0 जी.के. माथुर	2011–12	सामान्य

दिनांक 10.11.2012 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के अनुसार प्रयोगशाला में उप निदेशक के पद की वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध चयनित अधिकारी डॉ0 शैलेन्द्र झा का नाम विलोपित किया जाता है।

आज्ञा से
Sd–
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज0 जयपुर।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

24/5/2018
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस